

IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-87/17

AMARJEET GIRI AND OTHERS ..... PLAINTIFFS

Vs.

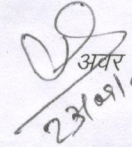
RAM PREET RAM AND OTHERS..... DEFENDANTS

23.09.19 उभय पक्षों ओर से हाजरी दी गई। वादी के दो आवेदन दिनांक- 06.06.18 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी., पूरक आवेदन दिनांक- 27.08.18 एवं पूरक आवेदन दिनांक- 08.04.19 पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या-1 रामप्रित राम का निधन दिनांक- 11.02.18 को हो गया है, जिनके वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक- 23.07.19 के द्वारा वादी के उक्त आवेदन का खण्डन किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है। वादी की ओर से विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए वादी का प्रतिस्थापन आवेदन न्यायहित में 500/- रु० खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत प्रतिवादी संख्या-1 रामप्रित राम के वारिसानों के नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समुचित पहल करें।

दिनांक- 04.11.19 वास्ते करने प्रतिस्थापित वारिसानों का नाम एवं अग्रतर कार्रवाई।

  
अवर न्यायाधीश  
23/09/19